बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–50/2016 4028 /कृ0, पटना दिनांक 16/9/ ,2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल कार्यक्रम के लिये केन्द्रांश मद में 6106.239 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 4070.822 लाख रूपये, कुल 10177.061 लाख रूपये (एक सौ एक करोड़ सतहत्तर लाख छः हजार एक सौ रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वियन की स्वीकृति तथा राज्य योजना अंतर्गत बीज अनुदान मद में 1358.621 लाख (तेरह करोड़ अन्ठावन लाख बासठ हजार एक सौ) रूपये की लागत से अतिरिक्त सहायता के रूप में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल कार्यक्रम के लिये केन्द्रांश मद में 6106.239 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 4070.822 लाख रूपये, कुल 10177.061 लाख रूपये (एक सौ एक करोड़ सतहत्तर लाख छः हजार एक सौ रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वियन की स्वीकृति तथा राज्य योजना अंतर्गत बीज अनुदान मद में 1358.621 लाख (तेरह करोड़ अन्ठावन लाख बासठ हजार एक सौ) रूपये की लागत से अतिरिक्त सहायता के रूप में योजना कार्यान्वियन की स्वीकृति तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा चयनित राज्य के 15 जिलों में चावल फसल 10 जिलों में गेहूँ फसल सभी 38 जिलों में दलहन फसल एवं 11 जिलों में कोर्स सिरियल (मोटा अनाज) फसल से संबंधित विभिन्न प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त वाणिज्कि फसल अंतर्गत गन्ना एवं जूट से संबंधित प्रस्तावित कार्यक्रम संबंधित उत्पादक जिला में कार्यान्वित किये जायेंगे। फसलवार प्रस्तावित कार्य योजना (भौतिक एवं वित्तीय) की विवरणी क्रमशः अनुसूची–1, 2, 3, 4, 5, एवं 6 पर संलग्न है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से फसलवार स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश क्रमशः 60: एवं 40: अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल (मोटे अनाज) एवं वाणिज्यिक फसल (गन्ना एवं जूट) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रकार से योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति है (फसलवार, जिलावार भौतिक एवं

वित्तीय लक्ष्य प्रस्तावित कार्य योजना अनुसूची–7, 8, 9 एवं 10 तथा वित्तीय आवश्यकता अनुलग्नक– 11 एवं 11(क) संलग्न है)।

(राशि लाख रूपये में)

फसल	केन्द्रांश : राज्यांश (60:40%) अनुपात के आधार पर भारत सरकार से स्वीकृत कार्ययोजना की राशि			केन्द्रांश : राज्यांश (60:40%) अनुपात के आधार पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि		
	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
2	3	4	5	6	7	8
चावल	2379.00	1586.00	3965.00	2379.00	1586.00	3965.00
गेहूँ	918.60	612.40	1531.00	918.60	612.40	1531.00
दलहन	2194.189	1462.792	3656.981	2194.189	1462.792	3656.981
कोर्स सिरियल	460.20	306.80	767.00	460.20	306.80	767.00
योग	**5951.989**	**3967.992**	**9919.981**	**5951.989**	**3967.992**	**9919.981**
व्यवसायिक फसल						
गन्ना	84.05	56.03	140.08	84.05	56.03	140.08
जूट	70.20	46.80	117.00	70.20	46.80	117.00
योग	**154.25**	**102.83**	**257.08**	**154.25**	**102.83**	**257.08**
कुल योग	**6106.239**	**4070.822**	**10177.061**	**6106.239**	**4070.822**	**10177.061**

2. क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में बढ़ोतरी के उद्देश्य से खरीफ एवं शीतकालीन हाईब्रीड धान, खरीफ एवं गरमा मक्का तथा खरीफ, रबी एवं गरमा दलहनी फसलों के लिये बीज अनुदान मद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत निर्धारित अनुदान–दर के अलावा राज्य योजना से अतिरिक्त सहायता द्वारा अनुदान दर में वृद्धि निम्न प्रकार स्वीकृत है।

क्र0 सं0	फसल का नाम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत निर्धारित अनुदान दर (रू0 प्रति क्विं0)			राज्य योजना से अतिरिक्त सहायता के रूप में प्रस्तावित अनुदान दर (रू0 प्रति क्विं0)	कुल प्रस्तावित अनुदान–दर (रू0 प्रति क्विं0)
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		
1	हाईब्रीड धान (खरीफ एवं शीतकालीन/बोरो)	3000.00	2000.00	5000.00	5000.00	10000.00
2	हाईब्रीड मक्का (खरीफ एवं गरमा)	3000.00	2000.00	5000.00	5000.00	10000.00
3	अन्य दलहनी फसल (खरीफ, रबी एवं गरमा)	1500.00	1000.00	2500.00	2500.00	5000.00

3. बीज अनुदान दर में उपर्युक्त प्रस्तावित वृद्धि के फलस्वरूप राज्य योजना से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी। राज्य योजना अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता (टॉपअप) के रूप में उक्त मद में उपलब्ध उपबंध के अंतर्गत तत्काल कुल 1358.621 (तेरह करोड़ अन्ठावन लाख बासठ हजार एक सौ) लाख रूपये बीज अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार है :

क्र0 सं0	फसल	प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (क्विं0 में)	राज्य योजना अन्तर्गत प्रस्तावित अतिरिक्त अनुदान दर प्रति क्विं0 (रू0 में)	राज्य योजना अंतर्गत प्रस्तावित अतिरिक्त अनुदान सहायता (लाख रू0 में)
1	हाईब्रीड धान (खरीफ/शीतकालीन /बोरो)	14249.09	5000.00	712.455
2	हाईब्रीड मक्का (खरीफ एवं गरमा)	3091.60	5000.00	154.580
3	दलहन का प्रमाणित बीज (खरीफ, रबी एवं गरमा)	19663.40	2500.00	491.586
योग		37004.09		1358.621

4. भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन हेतु एक मार्गदर्शिका निर्धारित की गयी है। योजना प्रावधानों के आलोक में राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति का

गठन किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी को कार्यमदों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेवार बनाया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से विमुक्त की गयी राशि का कोषागार से निकासी एवं व्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016–17 में भी कोषागार से राशि की निकासी एवं व्यय का प्रावधान रखा गया है। योजना कार्यान्वयन एवं राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति/भारत सरकार से अनुमोदित कार्ययोजना के आलोक में दिया गया है।

5. वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल (मोटे अनाज) कार्यक्रम का कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी होंगे जो योजना के कार्यान्वयन तथा संबंधित मद में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय के लिये पूर्णतः जबाबदेह होंगे। इनके द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु आवंटित एवं व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, रा0खा0सु0मि0, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–व्यवसायिक फसल अंतर्गत जूट (पाट) एवं गन्ना फसल कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अंतर्गत राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन दल कार्यक्रम के लिये स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) पटना के पी0एल0 खाता संख्या–278 में अंतरित की जायेगी।

7. बामेती, पटना द्वारा जूट फसल कार्यक्रम अंतर्गत राशि संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पूर्णियाँ, राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन दल से संबंधित राशि कृषि निदेशक के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग एवं गन्ना फसल कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि ईख आयुक्त गन्ना एवं उद्योग विभाग, बिहार, पटना को आर.टी.जी.एस. द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार, पूर्णियाँ, एवं ईख आयुक्त, गन्ना एवं उद्योग विकास विभाग द्वारा बामेती के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि निदेशक, बिहार को उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय को भेजा जायेगा।

8. वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ कार्यक्रम के तहत् लोकल इनिसिएटिव कार्यक्रम अंतर्गत बीज निबंधन/प्रमाणीकरण प्रोत्साहन मद में तथा दलहन कार्यक्रम अंतर्गत प्रमाणित बीज उत्पादन मद में स्वीकृति एवं आवंटित राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, बिहार, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति एवं आवंटित राशि की निकासी कर राशि अंतरण जमा के माध्यम से बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–271 में अंतरित की जायेगी। बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना द्वारा कृषि निदेशक से अनुमोदनोपरांत उक्त अंतरित राशि से संबंधित बीज उत्पादक को प्रसंस्कृत एवं प्रमाणित बीज की मात्रा के विरूद्ध निर्धारित दर के अनुसार डी0बी0टी0 (आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना द्वारा प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि निदेशक, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय को भेजा जाएगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी।

9. योजना कार्यान्वयन एवं राशि व्यय के स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध उद्व्यय एवं उपबंध के अंतर्गत किया गया है। स्वीकृत राशि का व्यय योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

10. भारत सरकार के पत्र के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ, दलहन, कोर्स सिरियल एवं वाणिज्यिक फसल (गन्ना एवं जूट) के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के अव्यवहृत एवं अवशेष राशि का उपयोग उक्त वर्ष में अनुमोदित कार्यघटकों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2016–17 में किया जा सकेगा।

11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–कोर्स सिरियल कार्यक्रम अंतर्गत हाईब्रीड मक्का फसल कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य खरीफ में शेष रहने पर इसे गरमा मौसम में पूरा किया जा सकेगा।

12. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन योजना के अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम अंतर्गत माँग के आलोक में फसलों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में कुल लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अर्न्तपरिवर्तन किया जा सकेगा।

13. भारत सरकार से राशि विमुक्ति के प्रत्याशा में वर्ष 2016–17 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की योजना प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश उपलब्ध कराया जायेगा तथा बजट शाखा द्वारा उसी के अनुरूप राशि आवंटित की जायेगी।

14. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन कार्यक्रम अंतर्गत प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यघटक का कार्यान्वयन इच्छुक कृषक/कृषक समूह के माध्यम से कराया जा सकेगा। कृषि विज्ञान केन्द्र/पैक्स/निबंधित गैर सरकारी संगठन/एफ0पी0ओ0 द्वारा भी कृषक समूह के माध्यम से उक्त कार्यघटक का कार्यान्वयन कराया जा सकेगा तथा उत्पादित प्रमाणित बीज की मात्रा के विरूद्ध निर्धारित अनुदान राशि का 10 (दस) प्रतिशत संस्थान शुल्क/प्रोत्साहन के रूप में संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर इन्हें देय हो सकेगा। संबंधित बीज उत्पादक को निबंधन एवं प्रमाणीकरण हेतु बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना एवं प्रसंस्करण हेतु बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना से संबद्ध कराने की जबाबदेही संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी की होगी। आधार बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। आधार बीज का मूल्य शत्–प्रतिशत संबंधित कृषक को स्वयं वहन करना होगा। संबंधित कृषकों को बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार बीज का उत्पादन करना अनिवार्य होगा। प्रमाणित बीज उत्पादन मद में प्रति एकड़ निर्धारित प्रोत्साहन राशि में निबंधन, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण शुल्क तथा प्रसंस्करण, बैगिंग आदि सेवा शुल्क सन्निहित रहेगा। बीज उत्पादक अनुज्ञप्ति/प्राधिकार प्राप्त कर राज्य के अंदर प्रमाणित बीज की बिक्री/विपणन अन्य किसानों अथवा बीज एजेंसी को कर सकेंगे। किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रसंस्कृत बीज की मात्रा के विरूद्ध बिहार राज्य बीज निगम द्वारा देय होगा। प्रसंस्करण के क्रम में विघटित अबीज संबंधित कृषक को वापस किया जायेगा। बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, मीठापुर, पटना द्वारा निर्गत बीज की गुणवत्ता से संबंधित, संतोषप्रद प्रतिवेदन (LIR) एवं राज्य स्तरीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना से निर्गत संतोषप्रद बीज नमूना जाँच परिणाम पाये जाने पर ही बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना द्वारा कृषकों से रॉ बीज प्राप्त किया जायेगा।

15. चावल कार्यक्रम अंतर्गत भूमि समतलीकरण तथा गेहूँ एवं दलहन कार्यक्रम अंतर्गत कस्टम हायरिंग कार्यक्रम की राशि रकवा सत्यापन के आधार पर लाभान्वित कृषकों को डी0बी0टी0 (आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

16. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल कार्यक्रम अंतर्गत गरमा मौसम में कार्यान्वित होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित राशि की अग्रिम निकासी की जा सकेगी।

17. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रशासी विभाग द्वारा राज्य योजना अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिये निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जा सकेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों के क्रय पर देय अनुदान सभी वर्ग के कृषक हेतु समान रहेगा। इस मद में देय अनुदान यंत्रवार निर्धारित अनुदान दर अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो कम हो के अनुसार देय होगा।

18. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत कार्यान्वित कार्यक्रमों के लिये किसानों को देय अनुदान राशि का भुगतान डी0बीटी0 (Direct Benefit Transfer) योजना अंतर्गत RTGS/NEFT के